जनसंपर्क विभाग में प्रशासनिक फेरबदल

भोपाल, 4 दिसंबर 2025. मध्यप्रदेश शासन के जनसंपर्क विभाग ने अपने ढांचे को अधिक प्रभावी और सक्षम बनाने के उद्देश्य से बुधवार को अधिकारियों के कार्य-विभाजन में बड़ा बदलाव किया है। आदेश संख्या एफ-2-2/2025/अकिंत/6357 के तहत वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

जारी निर्देशों के अनुसार, शासन स्तर से जुड़े समाचारों, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के कार्यक्रमों, प्रेस विज्ञप्तियों तथा मीडिया संकलन का दायित्व अब अतुल श्रीवास्तव (प्रभारी संयुक्त संचालक) को दिया गया है। इस

प्रदेश के अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारियां

कार्य में उनके साथ संदीप वर्मा, शैलेंद्र अग्रवाल, तन्मय सिंह और संजीव शर्मा सहयोग करेंगे।

राज्यभर की समाचार गतिविधियों एवं राज्य कार्यालय समन्वय की जिम्मेदारी अजय साहू (प्रभारी उप संचालक) को सौंपी गई है। सहयोगी टीम में मखन सिंह, शांतिकुमार अनुदत्त और सुशील वर्मा शामिल किए गए हैं।

सरकार की दिल्ली, मुंबई और भोपाल मीडिया यूनिट्स में समाचार संकलन व संचार समन्वय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रंजन जैन (उप संचालक) और रोहित पांडे (सहायक संचालक) को दी गई है। इसके साथ ही मंत्रालय कवरेज, महत्वपूर्ण सरकारी परियोजनाओं, योजनाओं तथा सीएम हेल्पलाइन से जुड़े कार्य भी रंजन जैन के पास रहेंगे।

दृश्य-श्रव्य माध्यमों की बात करें तो, वीडियो फिल्म, फोटो फिल्म और फिल्म निर्माण से संबंधित कार्यों का दायित्व अजय शर्मा (प्रभारी संयुक्त संचालक) को सौंपा गया है।

इसके अलावा, राज्य सरकार की प्रकाशन एवं प्रिंटिंग इकाइयों का प्रभार अमरनाथ मलकानी को सौंपा गया है, जबकि राजभवन और विधानसभा प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी अजय शर्मा और उनकी टीम देखेगी। जनसंपर्क आयुक्त दीपक सक्सेना द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश के साथ विभाग में नई कार्य व्यवस्था लागू हो गई है, जिसके माध्यम से शासन प्रशासन की सूचना व्यवस्था को और अधिक संगठित तथा गतिशील बनाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है।

> डिजिटल और सोशल मीडिया प्रबंधन को मजबूती देने के लिए अलग-अलग अनुभाग बनाए गए हैं।
> - **इंटर मीडिया** - नवीन परते
> - **इलेक्ट्रॉनिक मीडिया** - राजकुमार पंडा
> - **सोशल एवं डिजिटल मीडिया** - अनुराग मुरार
> - **वेब यूनिट** - विकास चतुर्वेदी

विधानसभा परिसर से चंदन के पेड़ चोरी!

कार्रवाई में जुटी सुरक्षा टीम

नवभारत रिपोर्ट
भोपाल, 04 दिसंबर. विधानसभा परिसर में लगे चंदन के पेड़ चोरी करने की कोशिश का मामला सामने आया है. गुरूवार को परिसर के अंदर तीन कटे पेड़ों की जानकारी सामने आई.

मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा के कर्मचारियों ने परिसर के अंदर तीन कटे पेड़ देखे. मामले की जानकारी कर्मचारयों ने संबंधित अधिकारियों को दी. मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने घटना की जांच के निर्देश दिए हैं. कटे पेड़ों को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन पेड़ों के टुकड़ों को चोर परिसर से बाहर ले जाने में असफल होने पर इन्हें उसी स्थान पर छोड़ दिया है. मामले की जानकारी मिलने पर सुरक्षा टीम कार्रवाई करने में जुटी है. इससे पहले 74 बंगला स्थित डीएफओ कार्यालय परिसर में भी कुछ दिन पहले कट चंदन के पेडों को काट कर चोरी का मामला सामने आया था.

> विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है. जहां सभी बड़े नेताओं का आवागमन भी बना होता है. ऐसे में परिसर के अंदर चंदन के पेड चोरी की कोशिश का मामला सामने आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

कार चालक की कोर्ट से जमानत

भोपाल. शहर के पॉलिटेक्निक चौराहे के पास पेट्रोल पंप के सामने सड़क हादसे में आरोपी कार चालक को कोर्ट से गुरुवार को जमानत मिल गई. आरोपी की जमानत होने से मृतक आतिफ के परिजन और भी ज्यादा परेशान है. परिजनों ने आरोपी चालक के खिलाफ आपत्ति जताई है.

आरोप चालक नितिन मूलानी को कोर्ट में सुनवाई के दौरान जमानत मिल गई है. आरोपी मूलानी बिल्डर का काम करता है. मूलानी का जमानत से मृतक के परिजनों ने इस पर आपत्ति जताई है. बता दें कि बुधवार को हिट एंड रन की घटना में छात्र आतिफ की जान चली गई थी.

रेफर से पहले अस्पताल को दें सूचना

मातृ मृत्यु के कारणों की समीक्षा के लिए बैठक, सीएमएचओ ने दिए निर्देश

नवभारत प्रतिनिधि,
भोपाल, 4 दिसंबर. मातृ मृत्यु के मामलों में कमी लाने के उद्देश्य से सीएमएचओ भोपाल डॉ मनीष शर्मा ने जयप्रकाश जिला चिकित्सालय में एमडीएसआर समीक्षा बैठक ली. बैठक में हाल में सामने आए मातृ मृत्यु के प्रकरणों की अलग अलग स्तर पर जांच कर कारणों का विश्लेषण किया.

समीक्षा में शीघ्र पंजीयन समय पर जांच मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड में प्रविष्टि हाई रिस्क गर्भवती की पहचान और प्रबंधन प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जांच तथा अनमोल पोर्टल पर डाटा प्रविष्टि जैसे बिंदुओं का परीक्षण किया गया. गंभीर रक्तस्राव संक्रमण एक्लैंपशिया प्री एक्लैंपशिया प्रसव संबंधी जटिलताएं और असुरक्षित गर्भपात जैसे कारणों पर विशेष चर्चा कर सुधार के निर्देश दिए गए. सीएमएचओ ने स्पष्ट निर्देश दिए कि हाई रिस्क गर्भवती की जांच चिकित्सक द्वारा अनिवार्य रूप से की जाए. गर्भवती को दूसरे संस्थान में रेफर करने से पहले संबंधित अस्पताल को सूचना दी जाए और रेफरल के बाद भी महिला की निरंतर निगरानी की जाए. रेफरल प्रक्रिया को 108 एंबुलेंस के माध्यम से सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया.

> सीएमएचओ डॉ. मनीष शर्मा ने बताया कि गर्भावस्था और प्रसव के दौरान होने वाली ज्यादातर जटिलताओं का समय पर प्रबंधन कर मातृ मृत्यु को रोका जा सकता है. सुरक्षित मातृत्व के लिए जननी सुरक्षा योजना मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम विस्तारित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान और निशुल्क परिवहन सेवा सहित कई योजनाएं संचालित हैं ताकि प्रत्येक गर्भवती को समय पर उपचार और सहायता मिल सके.

लंबे विरोध के बाद बदली एमवीएम कॉलेज की प्राचार्या

- उच्च शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों की शिकायतों पर की कार्रवाई

नवभारत प्रतिनिधि
भोपाल, 4 दिसंबर. मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्या गीता मोदी के खिलाफ कर्मचारियों के लंबे समय से जारी विरोध ने आखिरकार असर दिखा दिया है. उच्च शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों की लगातार उठ रही आवाज को संज्ञान में लेते हुए गीता मोदी को पद से हटाकर डॉ अलका प्रधान को नया प्रभार सौंप दिया है.

कर्मचारी संगठन राज्य शासकीय कर्मचारी अधिकार संरक्षण संघ और मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय के कर्मचारियों ने पिछले कई महीनों से प्राचार्या के कठोर और कर्मचारी विरोधी व्यवहार को लेकर विरोध दर्ज कराया था. कर्मचारियों का कहना था कि प्राचार्या का रवैया लगातार अपमानजनक रहा और कई बार शिकायतें और ज्ञापन देने के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ. संगठन ने इस मामले को मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव प्रमुख सचिव आयुक्त और मंत्री तक पहुंचाते हुए न्याय की मांग की थी. जिसके बाद विरोध और शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया कि कॉलेज के वातावरण और कार्यप्रणाली में सुधार के लिए प्रशासनिक बदलाव आवश्यक है. इसी कड़ी में गीता मोदी को पद से हटाकर डॉ अलका प्रधान को प्रभारी प्राचार्या बनाया गया है. संघ के प्रमुख शील प्रताप सिंह पुंढीर महासचिव व्यासमुनि चौबे प्रदेश प्रवक्ता शोएब सिद्दीकी कृष्णकांत मिश्रा प्रणव खरे लालाराम रैकवार रविशंकर त्रिपाठी राहुल शर्मा और सूर्यकांत मिश्रा ने विभाग के निर्णय को कर्मचारी हित में महत्वपूर्ण कदम बताया.

> कर्मचारियों ने डॉ अलका प्रधान को नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जताई कि वे कॉलेज में सकारात्मक कार्य वातावरण स्थापित करेंगी. कर्मचारियों ने नवागत प्राचार्या से जनभागीदारी श्रमिकों कम वेतनभोगी तथा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से संबंधित लंबित समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग भी की है.

वाहन चोर से चार मोटरसाइकिलें जब्त

नवभारत रिपोर्ट
भोपाल, 04 दिसंबर. अयोध्यानगर थाना पुलिस ने शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी के चार वाहन भी जब्त किए हैं. आरोपी शराब दुकान के सामने खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाता था. चोरी की गाड़ी गिरवी रख कर आरोपी मिले रुपयों को जुएं में उड़ता था.

थाना प्रभारी महेश लिल्हारे ने बताया कि फरियादी गेंदालाल राजपूत ने बताया कि बीते 29 नवंबर को देर शाम उसकी मोटर साइकिल बाजार से चोरी हो गई.

पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए घटना स्थल के आसपास से सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू की. पुलिस कार्रवाई के दौरान एक संदिग्ध को पहचान कर उसे पकड़ा गया. पुलिस की पूछताछ में वाहन चोरी की घटना अंजाम देने की बात स्वीकार की. पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी की पहचान बंटी मालवीय (26) निवासी औंमकारा सेवनिया के रुप में की गई है.

पॉश इलाके चार इमली में चोरी करने वाले पकड़ाए

नवभारत रिपोर्ट
भोपाल, 04 दिसंबर. हबीबगंज थाना पुलिस ने शहर के सबसे पॉश इलाके चार इमली में चोरी करने वाले शातिर चोरों गिरफ्तार किया. पुलिस ने बदमाशों के पास से करीब एक लाख रुपये का माल भी बरामद किया है. बदमाशों ने इलाके में चोरी की दो घटनाओं का खुलासा किया है.

सहायक पुलिस आयुक्त हबीबगंज उमेश तिवारी ने बताया कि बीते 8 अक्टूबर को देर शाम चार इमली के एक बंगले में लगी तीन पानी की मोटर और 7 पीतल और स्टील वाले नल की टोंटी को चोरी की वारदात चोरों ने की थी. पुलिस ने बुधवार को आरोपियों को हुलिये के आधार पर पकड़ा और थाने लाकर पूछताछ की. पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम सुमित उर्फ बाबा करौसिया (19) निवासी ज्योतिबा फूले नगर और मनोज मिश्रा (29) निवासी टीटी नगर बताया.

चार नाबालिगों को परिजनों से मिलाया

- भोपाल ग्रामीण क्षेत्र के मामलों में मिली सफलता

भोपाल, 04 दिसंबर. आपसी रंजिश के चलते भोपाल ग्रामीण के थाना बैरसिया क्षेत्र से दो बच्चों को घर से उठाकर ले जाने की घटना ने चिंताजनक स्थिति पैदा कर दी. मामला संज्ञान में आने पर पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया और सशक्त फील्ड एक्शन ने एक संभावित गंभीर अपराध को समय रहते रोक दिया.

फरियादी निवासी बसई, थाना बैरसिया ने रिपोर्ट दर्ज की थी कि रेखा अहिरवार, निवासी मालथौन, जिला सागर, दो अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर उसके दो बच्चों (2 एवं 3 वर्ष) को घर से उठा ले गई है. इस पर से थाना बैरसिया में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.

फील्ड स्तर पर प्राप्त त्वरित सूचना के आधार पर पुलिस ने खोज अभियान को गति दी. जांच के प्रारंभिक चरण में यह महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि आरोपी महिला की लोकेशन जिला विदिशा के थाना ग्यारसपुर क्षेत्र में सक्रिय है. इस आधार पर बैरसिया पुलिस ने तुरंत ग्यारसपुर थाना पुलिस से समन्वय स्थापित करते हुए एक संयुक्त टीम तैयार कर महिला आरोपी को पकड़ने की रणनीति बनाई.

> लगातार समन्वय, सूझ-बूझ और अभियान की गंभीरता को देखते हुए किए गए त्वरित निर्णयों के परिणामस्वरूप, संयुक्त पुलिस टीम ने तीन आरोपी रेखा अहिरवार, अशोक कुशवाहा और मनीष आदिवासी को हिरासत में लेकर दोनों बच्चों को सकुशल बरामद किया. दोनों बच्चों की शारीरिक व मानसिक स्थिति का प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया.

25 हजार 631 उपभोक्ताओं के खातों में पहुंचे 199 करोड़

- पीएम सूर्य घर योजना का मिला लाभ
- 78 लाख से अधिक की मिली सब्सिडी

भोपाल 04 दिसंबर. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में पीएम सूर्यघर योजना के तहत अब तक कुल 25 हजार 631 उपभोक्ता पंजीकृत हुए हैं.

जिन्हें 199 करोड़, 78 लाख 34 हजार की राशि सब्सिडी के रूप में उनके खातों में जमा कराई जा चुकी है. कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा के दौरान रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उपरांत विद्युत वितरण कंपनी में रजिस्टर्ड अधिकृत वेंडर से ही सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाएं. उन्होंने कहा बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पीएम सूर्य घर योजना प्रारंभ की गई है.

सीएमएचओ ने 16 अस्पतालों को दिया नोटिस

नवभारत प्रतिनिधि,
भोपाल, 4 दिसंबर. राजधानी के सोलह निजी अस्पतालों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय ने कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं.

नर्सिंग होम पोर्टल पर नियमित जांच के दौरान यह पाया गया कि इन अस्पतालों की फायर एनओसी और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से प्राप्त प्राधिकरण की वैधता समाप्त हो चुकी है. इसके बाद संबंधित अस्पतालों को मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं अधिनियम 1973 के अध्याय दो के तहत नोटिस जारी किया गया है. अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि वे दो सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें.

निर्धारित समय में दस्तावेज जमा न होने पर अस्पताल का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा. सीएमएचओ भोपाल डॉक्टर मनीष शर्मा ने बताया कि अस्पताल संचालन की अनुमति के लिए फायर एनओसी, चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ की डिग्री और रजिस्ट्रेशन, बायोमेडिकल वेस्ट और प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अनुमतियां अनिवार्य रहती हैं. समय सीमा में वैध दस्तावेज उपलब्ध न कराने पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

> **इन अस्पतालों को जारी हुए नोटिस**
> माहेश्वरी हॉस्पिटल, रेडक्रॉस हॉस्पिटल, राधारमन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज रिसर्च हॉस्पिटल, लक्ष्य मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिटी मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, प्रयास मदर एंड चाइल्ड मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, डीकेएस हॉस्पिटल, महर्षि वैदिक हेल्थ सेंटर, नेत्रिका नेत्रालय, दुलार चिल्ड्रन हॉस्पिटल, आयुष हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, प्रभात श्री हॉस्पिटल, दीपशिखा हॉस्पिटल, श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ट्रिनिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और आईमैक्स रेटिना एंड आई केयर सेंटर शामिल हैं.

अवैध शराब तस्करी और विक्रय पर सख्त कार्रवाई

- बैरागढ़ पुलिस ने जब्त किया 1 करोड़ 66 लाख माल

भोपाल, 04 दिसंबर. अवैध शराब तस्करी और विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान के तहत मप्र पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है. पुलिस की सतर्कता, तत्परता और समन्वित कार्यप्रणाली के परिणामस्वरूप झाबुआ तथा भोपाल में भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई है.

भोपाल शहर में थाना बैरागढ़ पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई की. एसीपी बैरागढ़ आदित्य राज सिंह ठाकुर और थाना प्रभारी अशोक कुमार गौतम के नेतृत्व में गठित टीम ने 03 दिसंबर को रेल्वे स्टेशन फाटक क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर आरोपी अमर ठकोरिया के घर पर दबिश दी. आरोपी के घर से कुल 70 पेटी अवैध शराब जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 2 लाख 75 हजार रुपये है. आरोपी के विरुद्ध थाना बैरागढ़ में आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना जारी है. इस प्रकार पुलिस ने इन कार्रवाहियों में कुल 1 करोड़ 66 लाख से अधिक शराब, वाहन एवं अन्य संपत्ति जब्त की है.

> **हाइवे पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई**
> झाबुआ पुलिस ने इंदौर-अहमदाबाद हाईवे पर मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में एक टाटा ट्रक से 7470 लीटर अवैध शराब जब्त की है. ट्रक में शराब के ऊपर भूसा रखा हुआ था. साथ ही वाहन, भूसा, तिरपाल, मोबाइल आदि सामान जब्त किया है. जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 63 लाख 35 हजार रुपये है. आरोपी को गिरफ्तार कर थाना कोतवाली झाबुआ में आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है. इस उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक झाबुआ द्वारा टीम को प्रशंसा पत्र एवं नगद पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है.

अनहोनी टली | लोगों ने आरोपी को पुलिस को सौंपा

मासूम को बैड टच कर दुष्कर्म की कोशिश

नवभारत रिपोर्ट
भोपाल, 04 दिसंबर. शहर में लोगों की जागरुकता से एक पांच साल की मासूम बच्ची के साथ अनहोनी की घटना गुरुवार को टल गई. इस मौके पर बच्ची के साथ बैड टच कर दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को भी लोगों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया.

मिली जानकारी के अनुसार बच्ची अपने परिवार के साथ इलाके में रहती है. इलाके में नवाब शासन काल की पुरानी इमारत बेनज़ीर पैलेस की सूनी इमारत में बच्ची को बिस्किट दिलाने के बहाने साथ आरोपी

को लोगों ने पकड़ा. घटना स्थल पर लोगों ने बच्ची को निर्वस्त्र अवस्था में देखा. बच्ची के साथ यहां मिले आरोपी से पूछताछ के दौरान संदेह होने पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया. एसीपी अनिल वाजपेयी के अनुसार मामला सामने आने के बाद बच्ची की काउंसलिग कराई जा रही है. इसके साथ बच्ची की मां के बयान भी पुलिस ने दर्ज किया. आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी.

> शाहजहानाबाद थाना पुलिस ने बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्त में आए आरोपी की पहचान मोहित उर्फ गप्पू के रुप में की गई है. आरोपी का आपराधिक रिकार्ड खंगालने के बाद पता चला कि उसके खिलाफ चोरी के प्रकरण पहले से दर्ज है. आदतन आरोपी चोरी के मामले में जेल भी जा चुका है. लोगों के बयान के आधार पर पुलिस अब बच्ची के मामले में बारीकी से जांच करने में जुटी है. बच्ची को सकुशल उसके परिवारजनों के पास पहुंचा दिया गया है.

अब तक 1 लाख 37 हजार 89 बकायादारों ने कराया पंजीयन

- 162 करोड़ 55 लाख मूल राशि हुई जमा
- 89 करोड़ 28 लाख का सरचार्ज हुआ माफ

भोपाल 04 दिसंबर. विगत 3 नवंबर से शुरू हुई समाधान योजना 2025-26 का लाभ हजारों बकायादार उपभोक्ता उठा रहे हैं. मध्य प्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 में कंपनी कार्यक्षेत्र में अब तक 1 लाख 37 हजार 089 बकायादार उपभोक्ताओं ने अपना पंजीयन कराकर लाभ लिया है. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के खाते में 162 करोड़ 55 लाख से अधिक की मूल राशि जमा हुई है, जबकि 89 करोड़ 28 लाख का सरचार्ज माफ किया गया है.

2025-26 के लागू होने से ऐसे अनेक उपभोक्ता हैं, जो बकाया बिल जमा कर रहे हैं और एकमुश्त बकाया जमा राशि जमा करने पर अधिकतम छूट का लाभ ले रहे हैं. कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने कंपनी के उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे प्रथम चरण में ही एकमुश्त भुगतान कर इस योजना में शामिल होकर सरचार्ज में अधिकतम छूट का लाभ उठाएं.